

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय-आदेश

निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 08 में अंकित ग्रेड वेतन कॉलम संख्या 09 में अंकित स्वीकृत तिथि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी.(रूल्स)/2008 दिनांक 12.9.08 एवं 6.10.08 के अनुसरण में आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी) प्रावधानान्तर्गत स्वीकृति की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान उपर्युक्त नियमों के बिन्दू संख्या 19 व 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन का निर्धारण सुनिश्चित करेंगे। वेतन का निर्धारण करने से पूर्व नीचे अंकित तथ्यों के बारे में संतुष्टि कर लेवे अन्यथा यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

- 1-संबंधित कार्मिक के विरुद्ध सी.सी.ए.रूल्स 16व17 में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रही है/विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
- 2-कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद रही हैं।
- 3-कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग नहीं किया गया है।
- 4-कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.6.01 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा कार्मिक से प्राप्त कर लें।
- 5-नियमानुसार 31.12.06 तक का एरियर देय नहीं है।

क. सं.	व0क0 अवधि	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	जन्मतिथि	नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत. एसीपी (वर्ष)	स्वीकृत वेतनबेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	160 001-02	भैरूलाल नागर, प्रअ बीईईओ खानपुर, झालावाड	05.07.61	13.12.84	27	9300-34800	4200	13.12.11
02	76 03-04	शंकर लाल सैन, प्रअ बीईईओ मनोहर थाना, झाला.	01.06.63	16.09.88	27	9300-34800	5400	16.09.15
03	209 02-03	प्रहलाद मेघवाल, प्रअ बीईईओ छबडा, बारां	01.01.60	03.06.88	27	9300-34800	5400	03.06.15

www.rajteachers.com


क्रमांक-उनिमाशि/को/लेंखा-4/एसीपी-प्राशि/18-19/ 34
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 3-संबंधित संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
- 4-संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
- 5-रक्षित पत्रावली

SK
उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग, कोटा

दिनांक : 03-07-18


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
कार्यालय-आदेश

निम्न कार्मिकों के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 07 में पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 में अंकित स्वीकृत तिथि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15 (1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित)नियम 2017 के नियम 14 के अन्तर्गत आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) प्रावधानान्तर्गत स्वीकृति की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान उपर्युक्त नियमों के बिन्दु संख्या 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन का निर्धारण सुनिश्चित करेंगे। वेतन निर्धारण करने से पूर्व नीचे अंकित तथ्यों के बारे में संतुष्टि कर लेवें अन्यथा यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

1-संबंधित कार्मिक के विरुद्ध सी.सी.ए.रूल्स 16 व 17 में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रही है

/विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।

2-कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद रही है।

3-कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग नहीं किया गया है।

4-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क-2/95दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधि घोषणा कार्मिक से प्राप्त कर लेवे।

5-नियमानुसार 01.01.16 से 31.12.16 तक का एरियर देय नहीं है।

क. सं.	व0क0व अवधि	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी (वर्ष)	पे मैट्रिक्स का लेवल	स्वीकृति तिथि
01	02	03	04	05	06	07	08
01	198सी 11-12	अगम प्रसाद रावल, प्रअ प्रधानाचार्य एवं पीईईओ राउमावि रूण्डलाव, झालावाड	01.10.58	31.01.91	27	L-13	31.01.18
02	215 11-12	सत्यनारायण मेघवाल, प्रअ बीईईओ बून्दी, बून्दी	26.05.64	08.03.90	27	L-13	08.03.17

www.rajteachers.com

क्रमांक : उनिमाशि/को/लेंखा-4/एसीपी/18-19/ 35

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा / बून्दी/ बारां/ झालावाड


2-संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा / बून्दी/ बारां/ झालावाड

3-संबंधित कार्मिक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा / बून्दी/ बारां/ झालावाड

4-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

दिनांक : 03-07-18


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

MUKESH